

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—मध्यप्रदेश

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59-अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 1218/योजना/एनआर-1/NREGS-MP/2009

भोपाल, दिनांक 03/02/2009

प्रति,

1. जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला.....(समस्त 50 जिले)
मध्यप्रदेश


विषय : वीडियो कांफ्रेंसिंग दिनांक 5 एवं 12 फरवरी, 2009 विषयक।

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 05.02.09 एवं 12.02.09 को प्रातः 11.00 से 01.30 बजे तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से NREGS-MP के संबंध में निम्न विषयों पर चर्चा की जावेगी :-

1. वर्ष 2009-10 हेतु शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट एवं लेबर बजट की तैयारी
(श्रीमती अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शा. पत्र क्रमांक जे-11011/14/2007-NREGA (Pt) दिनांक 3 सितम्बर, 08 एवं कार्या. का पत्र क्रमांक 10212 दिनांक 29.11.08 तथा श्रीमती अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शा. पत्र क्रमांक के-11011/2/2008-NREGA (Mon) TS दिनांक 10 दिसम्बर, 08 के संदर्भ में)
- 1.1 लेबर बजट की सॉफ्टवेयर में एन्ट्री।
2. 100 दिवस की कार्ययोजना पर चर्चा। (कार्या. का पत्र क्र. 39/ एनआरईजीएस/योजना/ एनआर-1/09 दिनांक 2.1.09 द्वारा लक्ष्य निर्धारण विषयक)
3. एमआईएस
3.1 एमआईएस - वित्तीय वर्ष 08-09 की दिसम्बर तक की प्रगति एवं फण्ड फ्लो
3.2 एमपीआर V/s एमआईएस एवं अलर्टस्
3.3 बैकलॉग डाटाएंट्री हेतु कार्ययोजना
3.4 डाटा वेलिडेशन
3.5 उपयोजनाओं की रूरल साफ्ट में जानकारी

4. बैंकों/पोस्ट आफिस के माध्यम से मजदूरी का भुगतान एवं बैंक खातों की एमआईएस एन्ट्री।
5. प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 - 25 तक कार्यों को खोलना।

दिनांक 5 एवं 12 फरवरी 2009 को आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिलों के समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी उपस्थित रहेंगे।



(रश्मि अरुण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

पृ.क्र. 1219/योजना/एनआर-1/NREGS-MP/2009

भोपाल, दिनांक 03/02 /2009

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संभागायुक्त की ओर सादर सूचनार्थ।
2. श्री मयंक नागर, प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, एनआईसी-विंध्याचल भवन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।


(रश्मि अरुण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल